

**संख्या:-649/एक-10-2026**

**प्रेषक,**

अरूण प्रकाश,  
विशेष सचिव,  
30प्र0 शासन।

**सेवा में,**

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,  
30प्र0, लखनऊ।

**राजस्व अनुभाग-10**

**लखनऊ: दिनांक: 28-05-2026**

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-297/सिम्पोजियम/पी.सी.टी./2026-27, दिनांक 26.05.2026 एवं अपने पत्र सं0- 214/प्रशिक्षण/पी.सी.टी./2026-27 दिनांक 12.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में वार्षिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत बाढ़ एवं बाढ़ सम्बन्धी आपदा प्रबन्धन विषय हेतु 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मुख्यालय मध्य कमान भारतीय सेना द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के समन्वय से दिनांक 05.06.2026 को मुख्यालय मध्य कमान में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी की अनुमति प्रदान करते हुए क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि रू0 3,79,08,750/- ( रू0 तीन करोड़ उन्यासी लाख आठ हजार सात सौ पचास मात्र) प्राधिकरण को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 11.02.2026 में प्राप्त संसृति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10.04.2026 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2026-27 में वार्षिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत बाढ़ एवं बाढ़ सम्बन्धी आपदा प्रबन्धन विषय हेतु 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मुख्यालय मध्य कमान भारतीय सेना द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के समन्वय से दिनांक 05.06.2026 को मुख्यालय मध्य कमान में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी की अनुमति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राधिकरण के पत्र सं0-214/प्रशिक्षण/पी.सी.टी./2026-27 दिनांक 12.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार

30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि ₹0 3,79,08,750/- ( ₹0 तीन करोड़ उन्यासी लाख आठ हजार सात सौ पचास मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

### नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 3,79,08,750/- (₹0 तीन करोड़ उन्यासी लाख आठ हजार सात सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-4 2 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

**भवदीय,**

Digitally signed by

ARUN PRAKASH

Date: 28-05-2026

(अरुण प्रकाश)

14:23:02

विशेष सचिव।

**संख्या:-649 (1)/एक-10-2026, तददिनांक।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।


## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027  
आवंटन दिनांक-29/05/2026

प्रेषण संख्या:- 649  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-649  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)  
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान	37908750	37908750
		प्रगामी	38037645	38037645
	योग	वर्तमान	37908750	37908750
		प्रगामी	38037645	38037645

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ उन्नासी लाख आठ हजार सात सौ पचास  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ अस्सी लाख सैंतीस हजार छः सौ पैतालीस

  
(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी